



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1937 (श10)
(सं0 पटना 1273) पटना, सोमवार, 9 नवम्बर 2015

निर्वाचन विभाग

अधितूचना

9 नवम्बर 2015

सं0 बी1-3-95/2015-47—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-73 के उपबन्धों के अनुसरण में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के निर्वाचन परिणाम से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधितूचना संख्या-464/बिहार-वि.स. /2015 दिनांक 09.11.2015 सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन कुमार शास्त्री,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 09 नवम्बर, 2015/18 कार्तिक, 1937 (शक)

सं. 464/बिहार-वि.स./2015- यत् बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा तोक प्रातिनिधिक अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी अधिसूचना संख्याबी-3-85/2015-23, बी-3-85/2015-26, बी-3-85/2015-32, बी-3-85/2015-39, बी-3-85/2015-41 जो क्रमशः 16 सितम्बर, 2015, 21 सितम्बर, 2015, 1 अक्टूबर, 2015, 7 अक्टूबर, 2015 एवं 8 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई थी, के अनुसरण में बिहार राज्य के लिए नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन हेतु सामान्य निर्वाचन कराया गया; और

यत् उक्त सामान्य निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों का परिणत संगठित निर्वाचक पदाधिकारियों द्वारा घोषित कर दिया गया है;

अतः, अब, लोक प्रातिनिधिक अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके सम्बद्ध दल सहित घोटे कोई हो, इस अधिसूचना की अनुसूची में पलट्टक अधिसूचित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 464/बिहार-वि.स./2015,

दिनांक 09 नवम्बर, 2015 की अनुसूची



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

पत्रांक संख्या-ओध-02/2015-29/जी-एस-

दिनांक 14.11.2015

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य सचिव
बिहार, पटना
प्रधान सचिव
संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना।
सचिव
बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना।
सचिव
बिहार विधान सभा, बिहार, पटना।

विषय:- पंचदश बिहार विधान सभा के विघटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मंत्रिमंडल के दिनांक 14.11.2015 को बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रेषित अनुशांसा पर विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भारतीय संविधान की धारा-174(2)(बी) के आलोक में बिहार विधान सभा को भंग करने का आदेश देने की कृपा की गयी है। महामहिम द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है।

यह आपका सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अनुलग्नक-यथा उपर्युक्त।

विश्वसभाजन,

95/22
(ब्रजेश मेहरोत्रा)

14/11/15

राज्यपाल के प्रधान सचिव

2/10
14.11.15

3616(1)
14.11.15

RAM NATH KOVIND
GOVERNOR OF BIHAR



RAJ BHAVAN
PATNA-800 022
Ph. 0612-2217626 Fax 2786184

In exercise of the powers conferred on me by sub-clause (b) of clause (2) of Article 174 of the constitution of India, I, Ram Nath Kovind, Governor of Bihar, hereby dissolve the Bihar Legislative Assembly with effect from 14.11.2015.

Governor of Bihar

Patna

The 14th November, 2015